मुख्यमंत्री विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना

समाज के गरीब परिवारों के विकलांग महिला / पुरुषों को विवाह हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा दो योजनाओं का संचालन किया जाता है। इसके अन्तर्गत वर्तमान में निःशक्तजन विवाह एवं अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना समाहित होंगी। अन्तर्जातीय विवाह अथवा दिव्यांग महिला / पुरुष के साथ विवाह करने पर जिसमें महिला एवं पुरुष की आयु क्रमशः 18 और 21 वर्ष से अन्यून हो तो अन्तर्जातीय विवाह के लिए महिला को एवं दिव्यांगजन से विवाह के लिए दिव्यांगजन को अनुदान देय होगा। यदि ऐसे विवाह में पति / पत्नी दोनों दिव्यांग हों तो दोनों को अनुदान देय होगा। इसी प्रकार दिव्यांगजन यदि अन्तर्जातीय विवाह करते है तो दिव्यांग विवाह के साथ–साथ अन्तर्जातीय विवाह के लिए देय अनुदान भी अनुमान्य होगा। उदाहरणस्वरूप, यदि पति–पत्नी दोनों दिव्यांग हों और उनकी जाति भी भिन्न हो तो पत्नी को अंतर्जातीय विवाह एवं दिव्यांग विवाह दोनों के लिए तथा पति को दिव्यांग विवाह हेतु अर्थात अनुदान की तीन इकाई अनुमान्य होगी।

राज्य के अंतर्गत कार्यान्वित मुख्यमंत्री विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना (निःशक्तजन विवाह एवं अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना) के लिए पात्रता एवं शर्तें निर्धारित की गई हैं जिसकी संक्षिप्त विवरणी निम्नवत है:

छत्र/योजना का नाम

मुख्यमंत्री विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना (निःशक्तजन विवाह एवं अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना)

देय राशि : रू. 1,00,000 / –

पात्रता : अन्तर्जातीय विवाह अथवा दिव्यांग महिला / पुरुष के साथ विवाह करने पर जिसमें महिला एवं पुरुष की आयु क्रमशः 18 और 21 वर्ष से अन्यून हो तो अन्तर्जातीय विवाह के लिए महिला को एवं दिव्यांगजन विवाह के लिए प्रत्येक दिव्यांग को अनुदान देय होगा। अन्तर्जातीय विवाह एवं दिव्यांग विवाह दोनों में पात्रता होने पर दोनों के लिए अनुदान देय होगा।

योजनाओं के लिए पात्रता पूरा करने वाले व्यक्ति को आवेदन–पत्र विहित प्रपत्र में सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कार्यालय में जमा करना होगा तथा इसके स्वीकृति पदाधिकारी सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग होंगे।

मुख्यमंत्री दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना तथा मुख्यमंत्री अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लाभुकों की विवरणी स्वीकृति तथा सत्यापनोपरांत सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के द्वारा भुगतान हेतु ई–सुविधा पोर्टल पर संचारित की जायेगी।

मुख्यमंत्री विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के अंतर्गत सम्मिलित योजनाओं यथा मुख्यमंत्री दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना तथा मुख्यमंत्री अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ई–सुविधा पर लॉक एवं Digital Signature/E-Sign किये गए लाभुक के लिए बैंक के पैरेंट खाता से चाइल्ड खाता में आवश्यक राशि क्रेडिट होगी। तदोपरांत सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग से प्राप्त अनुरोध एवं बैंक एडवाइस के आधार पर विहित लाभुक के नाम से 3 साल के अवधि के लिए Fixed Deposit तैयार कर लाभुक को उपलब्ध करा दिया जायेगा। परिपक्वता के उपरांत लाभुक को ब्याज सहित कुल राशि डिमांड ड्राफ्ट / पे आर्डर अथवा संबंधित बैंक के बचत खाता में उपलब्ध होगा।

मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना,(नियमावली–2016)

आवेदन का प्रपत्र

(दो प्रतियों में भरा जायेगा)

संयुक्त फोटो

1.आवेदक का नाम :–...

2.माता का नाम :–...

3.पिता का नाम :–...

4.विवाहित साथी का नाम :–..

5.पूरा पताः– ग्राम / मुहल्लाः–..

पंचायत / नगर वार्ड..नगर निगम / नगर परिषद / नगर पंचायत..............................

थानाः– प्रखण्डः– अनुमण्डलः–

जिलाः– डाकघरः– पिन कोडः–

6.लिंगः–...........................7.जन्म तिथि(आवेदक):–...................................8.आयु(आवेदक):–...

9.आवेदक से विवाह करने वाले स्त्री / पुरूष की जन्म तिथि तथा आयु:–..

10.आवेदक / विवाहित व्यक्ति का विकलांगता प्रतिशत (प्रमाण–पत्र संलग्न करें):–..

11.आधार संख्याः–...निर्वाचन परिचय पत्र संख्याः–...................................... 12.सूचना प्राप्त करने हेतु मोबाईल न०ः–..ई–मेल..

13.आवेदक का पहचान चिन्ह..

14.मैं निष्ठापूर्वक घोषणा करती हूँ किः–

(i) मैं योजना के अन्तर्गत लाभ पाने की पात्रता रखता / रखती हूँ।

(ii) मैंने विकलांग पुरूष / स्त्री से विवाह किया है, जिनकी विकलांगता..................................प्रतिशत हैं।

(iii) मैं(नाम).....................................जिला.............................बिहार राज्य का / की निवासी / अधिवासी हूँ।

मैं प्रमाणित करता / करती हूँ कि उपर्युक्त विवरणी सही हैं। यदि कोई व्योरा गलत / झूठा पाया जाय तो अनुदान के रूप में भुगतान की गई राशि राजस्व बकाये की तरह मुझसे वसूल कर ली जाय।

आवेदक का हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान

स्थानः–

तिथिः–

आवेदक के पहचान कर्त्ता का हस्ताक्षर

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी की अनुशंसा

मैने आवेदन में अंकित विवरणी जाँच की हैं और सही पाया हैं। अनुदन स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।.................. .... कारण से अनुदान स्वीकृति की अनुशंसा नहीं की जाती है।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का हस्ताक्षर / मुहर

स्वीकृति पदाधिकारी का आदेश

श्री / श्रीमति...’..की मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना, 2016 के अन्तर्गत रु 100,000 / —(एक लाख रुपये) मात्र के अनुदान की स्वीकृति दी जाती है।

सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग
का हस्ताक्षर / मुहर